वाराणसी नगर निगम, वाराणसी

स्मार्ट सिटी योजना के अन्तर्गत वाराणसी नगर के नागरिकों से सुझाव आमंत्रित है

स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत देश के 100 शहरों में प्रथम 20 शहरों में सम्मिलित होने के लिए वाराणसी नगर प्रगतिशील है। इस मिशन में नागरिकों द्वारा नगर की प्राथमिकता तय की जानी है और नागरिकों द्वारा तय की गयी प्राथमिकता के आधार पर पूरे नगर क्षेत्र में तय की गयी प्राथमिकता की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु बनायी जानी है।

नगर से अपेक्षित समस्त सुविधाओं के साथ शहर के एक छोटे से क्षेत्र को विकसित कर एक माडल के रूप में प्रस्तुत किया जाना है। नागरिकों द्वारा अभी तक नगर की प्रथम प्राथमिकता सुगम यातायात बनाने के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं को दिया गया है। वहीं दूसरी प्राथमिकता नगर की स्वच्छता व ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन को दी जा रही है। भारत सरकार की वेबसाइट www.mygov.in पर हुए आनलाइन राय-शुमारी में सुगम यातायात की व्यवस्था को 34% तथा नगर की सफाई व्यवस्था व ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन को 28% लोगों द्वारा प्राथमिकता दी गयी है।

क्षेत्र आधारित विकास में रेट्रोफिटिंग के अन्तर्गत काशी विश्वनाथ मन्दिर के आसपास का क्षेत्र व सारनाथ के आसपास का क्षेत्र चिन्हित किया जा रहा है व पुनर्विकास (re dovlopment) के लिए वरूणा व अस्सी नदी के पुनरूद्धार के लिए इंगित किया गया है।

इन बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए भी नगर का स्मार्ट सिटी प्रपोजल तैयार किया जाना है। इस हेतु प्राथमिकता के प्रत्येक बिन्दु पर विस्तृत विचार करते हुए उसके क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों, कठिनाई व सीमाओं का आंकलन कर इनके निराकरण के लिए उपयुक्त समाधान व विकल्प तलाशने हैं। इस क्रम में नगर की प्रथम प्राथमिकता सुगम यातायात की व्यवस्था के सम्बन्ध में विचार रखे जा रहे हैं।

मेरे विचार से वाराणसी नगर में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाये जाने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही अपेक्षित है–

1. **<u>ट्रैफिक विशेषज्ञों द्वारा ट्रैफिक से सम्बन्धित विभिन्न बिन्दुओं का अध्ययन व सर्वे</u>**–

(i) वर्तमान सड़कों का नेटवर्क व उस पर यातायात का दबाव ।

(ii) यातायात अवरूद्ध होने वाले विभिन्न स्थल और प्रत्येक चौराहे पर यातायात दबाव व उसके निदान हेतु उपाय सुझावित करना यथा चौराहो की Redisining आदि ।

(iii) यातायात सुगम बनाने हेतु पाइपलाइन में चल रही योजनाओं यथा रिंग रोड, कैण्ट से लहरतारा होते हुए आर0ओ0बी0 का प्रस्ताव ।

(iv) मेट्रो परियोजना आदि को दृष्टिगत रखते हुए सुगमता हेतु अन्य वैकल्पिक रूट व उपायों पर विचार करना ।

इस प्रकार विस्तृत अध्ययन कर सिटी मोबिलटी प्लान तैयार किया जाना अपेक्षित है ।

2. **<u>यातायात में निम्न कारणों से सुगमता बाधित होती है । इसके बार में योजना बनाया जाना</u>**–

(i) बिजली, टेलीफोन, मार्ग प्रकाश आदि के पाल व ट्रान्सफार्मर्स का अव्यवस्थित व कभी-कभी अनावश्यक रूप से लगाया जाना ।

(ii) निगम स्तर से सुव्यवस्थित व सुविचारित विज्ञापन स्थल का चिन्हांकन ।

(iii) कई स्थलों पर आवश्यक सेवा से सम्बन्धित सरकारी विभागों द्वारा रोड पर या चौराहों पर निर्मित अनियोजित चौकी या कार्यालय को नियोजित कर पुनर्स्थापित किया जाना ।

(iv) फुटपाथ पर अनाधिकृत निर्माण व ठेले-पटरी व्यवसाइयों को वेन्डिग जोन चिन्हित कर व सुलभ आव निर्मित कराकर व्यवस्थित कराया जाना ।

(v) रूट्स पर आवश्यकता के दृष्टिगत वाहनों को परमिट दिया जाना व रूट निर्धारण किया जाना।

3. **<u>यातायात नियन्त्रण</u>**–

(i) व्यापारिक व घनी आबादी वाले क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार वन–वे, नो–वैहकिल जोन, नान मोटराइज वैहकिल जोन आदि का निर्धारण किया जाना।

(ii) बड़े वाहनों/मालवाहक वाहनों के प्रवेश निषेध हेतु समय का निर्धारण व उसे कड़ाई के साथ लागू कराया जाना।

(iii) व्यवस्थित ट्रैफिक सिग्नल चालू कराना तथा उसका संचालन किया जाना।

(iv) कई स्थलों पर आवश्यकतानुसार रोड क्रास किये जाने हेतु अन्डरग्राउण्ड पाथ–वे या फुट ओवरब्रिज का निर्माण कराया जाना। यथा कैण्ट स्टेशन आदि

4. **<u>पार्किंग</u>**–बनारस में पार्किंग स्थलों की कमी सुगम यातायात हेतु बड़ी समस्या है। इसके दृष्टिगत निम्न बिन्दु पर विचार किया जाना अपेक्षित है–

(i) घनी आबादी के क्षेत्र में पूर्व से निर्मित माल, व्यवसायिक संकुल व अस्पताल के बेसमेन्ट में की गयी पार्किंग की व्यवस्था को शतप्रतिशत संचालित कराया जाना।

(ii) घनी आबादी वाले कतिपय क्षेत्रों का चिन्हांकन, जिसमें मल्टी स्टोरी इमारते या व्यवसाइक काम्प्लेक्स भविष्य में बनाये जाने पर रोक लगाया जाना तथा इसके लिए प्राधिकरण स्तर से प्राविधान किया जाना।

(iii) नगर निगम व प्राधिकरण की पार्किंग योग्य भूमि की सूची बनाकर उसके व्यवस्थित पार्किंग का निर्माण कराया जाना।

(iv) शहर में रिक्त प्राइवेट भूमि को पार्किंग के लिए उपयोग में लाये जाने पर भू–स्वामी को कतिपय इन्सेन्टिव दिये जाने का प्राविधान प्राधिकरण व निगम स्तर से कराये जाने पर विचार व इस दिशा में पी0पी0पी0 माडल विकसित करने के सम्बन्ध में प्रयास किया जाना।

(v) नगर क्षेत्र में लगभग 20 पुराने सिनेमाहाल स्थित हैं, जो वर्तमान में लम्बी अवधि से संचालित नहीं हो रहे हैं परन्तु राज्य सरकार के शासनादेश से सम्बन्धित परिसर को किसी अन्य उपयोग में लाये जाने पर प्रतिबन्धित है। उक्त हाल नगर क्षेत्र के घनी आबादी व उपयुक्त स्थलों पर स्थित हैं, जिनको पार्किंग के रूप में विकसित किये जाने पर पार्किंग की समस्या काफी सीमा तक सुगम हो सकती है। इस सम्बन्ध में शासन स्तर से, मनोरजंन कर विभाग, आवास

विकास परिषद व सम्बन्धित सिनेमाहाल के स्वामी से वार्ता कर इस दिशा में प्रयास किया जाना।

5. **<u>ट्रान्सपोर्ट नगर की स्थापना</u>**–यातायात सुगम करने की दृष्टि से प्रस्तावित ट्रान्सपोर्ट नगर में आ रहे अवरोधों के सम्बन्ध में वार्ता कर इसे अतिशीघ्र हल कराया जाना।

6. सुगम व सुविधाजनक सार्वजनिक यातायात के अन्य विकल्पों यथा सिटी बस ट्रान्सपोर्ट आदि की व्यवस्था करना।

7. यातायात नियमों के अनुपालन के सम्बन्ध में जन–जागरूकता व जन–सहयोग के लिए व्यापक प्रचार–प्रसार की नियमित व्यवस्था व उनका अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु जुर्माना आदि लगाये जाने की प्रभावी रूपरेखा व यातायात नियन्त्रित करने व नियमों को लागू करने हेतु आवश्यक पर्याप्त कर्मी उपलब्ध कराया जाना।

सुगम यातायात के सम्बन्ध में दिये गये सुझाव उदाहरण स्वरूप हैं। इसके अतिरिक्त भी कई अन्य महत्वपूर्ण व व्यवहारिक सुझाव नागरिकों द्वारा दिये जा सकते हैं तथा उक्त सुझावों से सम्बन्धित विशेष स्थलों की जानकारी भी सामान्य नागरिक और अच्छे तरीके से दे सकते हैं। इस दिशा में कार्य करने वाले अधिकारी व विशेषज्ञों से अनुरोध है कि इसमें और कौन–कौन से बिन्दु जोड़े जाय ताकि शहर की यातायात व्यवस्था बेहतर हो सके, के सम्बन्ध में आपका सुझाव आमन्त्रित है।